# कोल इंडिया (अन्तरणों का विनियमन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2000

**(2000 का अधिनियम संख्यांक 45)**

**[8 दिसम्बर, 2000]**

**कोल इंडिया लिमिटेड में या कोल इंडिया लिमिटेड की किसी समनुषंगी कम्पनी की किसी समनुषंगी कम्पनी या किसी अन्य समनुषंगी कम्पनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के, अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अंतरणों का विधिमान्यकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

**1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोल इंडिया (अन्तरणों का विनियमन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2000 है ।

**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कोल इंडिया" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कोल इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है, जो एक सरकारी कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कोलकाता में है और इसके अन्तर्गत इसकी पूर्ववर्ती सरकारी कंपनी, अर्थात्, दि कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड है;

(ख) "समनुषंगी कंपनी" से कोल इंडिया की निम्नलिखित समनुषंगी कंपनियां अभिप्रेत हैं, अर्थात्:—

(i) दि सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, रांची और इसके अन्तर्गत इसकी पूर्ववर्ती सरकारी कंपनी अर्थात्, दि नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रांची है;

(ii) दि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद;

(iii) दि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नागपुर;

(iv) दि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, संकतोरिया;

(v) दि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची;

(vi) दि साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर;

(vii) दि नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली;

(viii) दि महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, सम्भलपुर,

और इसके अन्तर्गत कोल इंडिया की ऐसी अन्य समनुषंगी कंपनी है जिसे समय-समय पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित किया जाए;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कोककारी कोयला खान (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) या कोयला खान (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं ।

**3. भूमि, अधिकार, हक या हित के अन्तरण का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है, कि कोई समनुषंगी कंपनी, ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जो वह सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुपालन करने की इच्छुक है या उनका अनुपालन कर लिया है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि कोल इंडिया में निहित भूमि में या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार या किसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित, कोल इंडिया में निहित बने रहने के

बजाय उस समनुषंगी कंपनी में निहित हो जाएंगे या जहां ऐसी भूमि या अधिकार, हक अथवा हित किसी समनुषंगी कंपनी में निहित हैं वहां किसी अन्य समनुषंगी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार या किसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक अथवा हित उपधारा (1) के अधीन किसी समनुषंगी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां ऐसी समनुषंगी कंपनी, ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसी कोयला खान या कोककारी कोयला खान के संबंध में उसी प्रकार पट्टेदार समझी जाएगी मानो उसे, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 के अधीन बनाए गए खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन, उस अधिकतम अवधि के लिए जिसके लिए उक्त नियमों के अधीन ऐसा पट्टा दिया जा सकता था ऐसी कोयला खान या कोककारी कोयला खान के संबंध में नया खनिज पट्टा दे दिया गया हो और ऐसी कोयला खान या कोककारी कोयला खान के संबंध में, यथास्थिति, कोल इंडिया या समनुषंगी कंपनी के सभी अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, पहले वर्णित समनुषंगी कंपनी के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

**4. कतिपय अंतरणों का विधिमान्यकरण**—किसी ऐसी समनुषंगी कम्पनी के बारे में, जो किसी ऐसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कोल इंडिया या किसी अन्य समनुषंगी कम्पनी में निहित हो गया था, प्रचालित कर रही थी या वह उसके नियंत्रणाधीन थी, यह समझा जाएगा कि उसमें भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार अथवा ऐसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित निहित हो गए हैं और ऐसे निहित होने को सभी तात्त्विक समयों पर विधिमान्य और प्रभावी समझा जाएगा मानो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसा निदेश दिया गया हो और तद्नुसार कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी भी न्यायालय में इस आधार पर न तो संस्थित की जाएगी, न चलाई जाएगी या न ही जारी रखी जाएगी कि ऐसी समनुषंगी कम्पनी ऐसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र को प्रचालित करने या उसका नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं थी ।

———